अमन चौधरी से पहले, जे. के समक्ष

अनिल कुमार-याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य-प्रतिवादी

2016 का सी. आर. आर. संख्या 2405

09 सितंबर, 2022

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973-एस. एस. 173, 319-भारतीय दंड संहिता, 1860-एस. -एस. 148, 149, 307, 323, 324, 506-याचिका आक्षेपित आदेश को चुनौती देती है जिसके तहत धारा 319 दंड प्रक्रिया सहिंता के तहत प्रतिवादी संख्या 2 से 7 को बुलाने का आवेदन अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा खारिज कर दिया गया-यह माना गया है कि धारा 319 दंड प्रक्रिया सहिंता के पीछे का इरादा कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने कोई अपराध किया है, उसे भी रिहा नहीं किया जाना चाहिए-अदालत को किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए यदि यह प्रतीत होता है कि ऐसे व्यक्ति को आरोपी नहीं बनाया जा रहा है, तो उसने अपराध किया है-निचली अदालत को प्रथमदृष्टया दृष्टिकोण बनाने के लिए उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर शुरू करना चाहिए था-केवल धारा 319 दंड प्रक्रिया सहिंता को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, प्रथम दृश्य दृष्टिकोण बनाने के लिए पर्याप्ता निर्धारित करे, उस पर गहराई से विचार करने के बाद ही निष्कर्ष निकाला जा सकता था। विवादित आदेश को रद्द किया गया। याचिका स्वीकार की गई।

अभिनिर्धारित किया कि खंड 319 दंड प्रक्रिया सहिंता के प्रावधानों की व्याख्या करते हुए, क्योंकि इसका वास्तविक अश्या यह है कि विचारण न्यायालय ने कानून और तथ्यों दोनों में त्रुटि की है।तथ्य यह है कि निर्विवाद रूप से मनजीत सिंह (उपरोक्त) के मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय को खंड 319 दंड प्रिक्रिया सहिंता के तहत आवेदन को खारिज करने के आदेश को रद्द करने के लिए राजी किया था, इस आधार पर कि शिकायतकर्ता ने उस मामले में भी शुरू से ही आरोप लगाए थे कि आरोपी ने अपराध किया था, इस मामले में भी मौजूद हैं।

(पैरा 15)

आगे अभी निर्धारित किया है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों की विशिष्टता के साथ-साथ मनजीत सिंह, मनदीप सिंह और बृजेंद्र सिंह (उपरोक्त) के मामलों में निर्धारित कानून, इस न्यायालय को कम से कम प्रतिवादी संख्या 2 को समन करने वाले आवेदन को खारिज करने वाले विवादित आदेश को रद्द करने के लिए मजबूर करता है।

(पैरा 16)

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता वसुंधरा दलाल आनंद।

गौरव बंसल, ए. ए. जी., हरियाणा।

अनिल कुमार बनाम हरियाणा राज्य और अन्य 1473

(अमन चौधरी, जे.)

हर्ष किनार, अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 2 से 7 के लिए।

अमन चौधरी, जे.

(1) वर्तमान पुनरीक्षण याचिका रोहतक के विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित दिनांक 6.6.2016 के आदेश को चुनौती देते हुए दायर की गई है, जिसमें शिकायतकर्ता-याचिकाकर्ता द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 से 7 को अति..रिक्त आरोपी के रूप में समन करने के लिए खंड 319 दंड प्रक्रिया सहिंता के तहत दायर एक आवेदन को खारिज कर दिया गया था।

तथ्यात्मक पहलूः

(2) संक्षेप में तथ्य यह है कि 3.5.2015 पर लगभग 10.30 बजे, शिकायतकर्ता अनिल कुमार एक जय भगवान के घर उसकी मोटरसाइकिल लेने के लिए जा रहा था। रास्ते में जब वह अपनी सड़क पर पहुंचा तो उसी समय विनोद और विक्की उर्फ दिनेश, उनके पिता हरि राम, उनकी पत्नियों और आरोपी विनोद के दो बेटों ने उस पर हमला कर दिया।अभियुक्त विनोद ने उसके सिर पर फरसा से प्रहार किया और अन्य अभियुक्तों ने उसके हाथों और पैरों पर डंडा, मुक्का और लात से वार किया। शिकायतकर्ता द्वारा शोर मचाने पर, शिकायतकर्ता के चाचा हरि पाल उर्फ मिंटू और अन्य पड़ोस के लोग वहां एकत्र हो गए और उसे आरोपियों के चंगुल से बचा लिया। इसके बाद वे उसे खत्म करने की धमकी देते हुए अपने-अपने हथियारों के साथ मौके से भाग गए।घायल शिकायतकर्ता को उसके चाचा पीजीआईएमएस रोहतक ले गए। रुका प्राप्त करने पर, शिकायतकर्ता के उपरोक्त बयान के आधार पर, जो घायल चश्मदीद गवाह था, एक प्रथम सूचना रिपोर्ट नं.161 भा.दं.सं. सी. की धारा 148,149,323,324,307,506 के तहत दिनांक 4.5.2015 दर्ज किया गया था।

प्रस्तुतियाँः

(3) प्रारम्भ में विद्वान वकील इस न्यायालय का ध्यान दिनांकित 11.7.2016 के आदेश की ओर आकर्षित करता है, जिसके तहत मामले में यह स्पष्ट करने के लिए नोटिस प्रस्ताव जारी किया गया था कि तत्काल याचिका को प्रतिवादी संख्या 3 से 7 के लिए नहीं, बल्कि केवल प्रतिवादी संख्या 2 के संबंध में दबाया गया था।

(4) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि हालांकि खंड 173 दंड प्रक्रिया सहिंता के तहत रिपोर्ट अदालत में प्रस्तुत की गई थी, लेकिन जांच ठीक से नहीं की गई थी, जिसके कारण, 7 अभियुक्तों, जिन्हें प्रथम सूचना रिपोर्ट में विशिष्ट भूमिकाओं के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था, का चालान नहीं किया गया था। तदनुसार, यह उसका निवेदन है कि शिकायतकर्ता द्वारा उक्त अभियुक्त को बुलाने के लिए दिनांक 7.12.2015, अनुलगनक P5, एक आवेदन दायर किया गया था, जैसा कि पुलिस द्वारा छोड़ दिया गया था।

आवेदन के पैरा 2 का एक संदर्भ न्यायालय का ध्यान अभिवचनों की ओर आकर्षित करने के लिए किया गया है, जिसका प्रभाव यह है कि रिकॉर्डिंग के समय पी. डब्ल्यू. 5 के रूप में शिकायतकर्ता का साक्ष्य, पुलिस द्वारा नंबर 2 में कॉलम में रखे गए सभी व्यक्ति घायल शिकायतकर्ता को मामले से समझौता करने के लिए धमकी देने और दबाव बनाने के लिए अदालत के अंदर मौजूद थे।विद्वान वकील ने आगे प्रस्तुत किया है कि विद्वत विचारण न्यायालय ने दिनांकित 25.7.2016 के विवादित आदेश के माध्यम से शिकायतकर्ता-याचिकाकर्ता की ओर से की गई प्रस्तुतियों की ठीक से सराहना किए बिना आवेदन को खारिज कर दिया।अपनी दलीलों को साबित आदेश के लिए, प्रथम सूचना रिपोर्ट का संदर्भ देता है, जिसमें एक तथ्य का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि शिकायतकर्ता ने बिना किसी अनिश्चितता के दर्ज किया था कि विनोद, प्रतिवादी संख्या 2 ने इसमें 'फरसा' प्रहार किया और विक्की ने अपने सिर पर लोहे की छड़ से प्रहार किया। उक्त दावे की पुष्टि आदेश के लिए, घायल-शिकायतकर्ता, संलग्नक पी-3 (कोली) के एम. एल. आर. को एक संदर्भ दिया गया है, जिसमें उसके सिर पर दो चोटों का उल्लेख किया गया है, जिनमें से एक सीनियर नंबर 1 पर एक कटा हुआ घाव था। इस संबंध में,विद्वान अधिवक्ता घायल शिकायतकर्ता, पी.डब्लू. 5, संलग्नक पी-2 के बयान का संदर्भ देता है, जिसमें उसने यह भी दोहराया था कि आरोपी विनोद-प्रतिवादी संख्या 2 ने उसके सिर पर 'फरसा' प्रहार किया था, जबकि विक्की ने उसके सिर पर लोहे की छड़ से प्रहार किया था।

(5) उपरोक्त दस्तावेजों को संदर्भित करने और उन पर भरोसा रखने के बाद, विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि उपरोक्त गवाह के बावजूद, विद्वान विचारण न्यायालय ने केवल एक तथ्य को ध्यान में रखते हुए और दर्ज करते हुए गलती की थी कि एम. एल. आर. से पता चलता है कि घायल-शिकायतकर्ता के सिर पर घाव है और उसके सिर पर कोई अन्य चोट नहीं है। उपरोक्त के अलावा यह दर्ज किया गया कि शिकायतकर्ता के बयान के अनुसार, आरोपी दिनेश उर्फ विक्की ने उसके सिर पर लोहे की छड़ से वार किया था और उक्त लोहे की छड़ प्रकार हथियार भी बरामद किया गया था। यह विद्वान अधिवक्ता का मामला है कि घायल शिकायतकर्ता के सिर पर दूसरी चोट भले ही विशेष रूप से एम. एल. आर. में दर्ज की गई हो, जैसा कि शिकायतकर्ता द्वारा दो बार दर्ज किया गया है, पहला प्रथम सूचना रिपोर्ट. में और दूसरा पी. डब्ल्यू. 5 के रूप में पेश होने के दौरान उसके बयान में उक्त आदेश में उल्लेख भी नहीं पाया गया है।

(6) विद्वान वकील, अनुच्छेद 11,12,16 और 69 के विशिष्ट संदर्भ के साथ, भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय पर भरोसा करते हैं, जो कि हरदीप सिंह बनाम पंजाब राज्य में है।

(7) इसके विपरीत, प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि विवादित आदेश इसके बाद पारित किया गया था मामले के सभी पहलुओं की सराहना करना और इस प्रकार किसी निष्कर्ष की आवश्यकता नहीं है। आगे प्रस्तुत आदेश है कि एक अतिरिक्त आरोपी को बुलाने के लिए, घायल के बयान से अधिक सबूत होना चाहिए। एक क्रॉस-केस का भी संदर्भ दिया गया है, जिसे प्रतिवादी-पक्ष द्वारा याचिकाकर्ता के खिलाफ दर्ज किया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि शिकायतकर्ता याचिकाकर्ता ने उनके घर पर ईंटें और पत्थर फेंके थे, जिससे प्रतिवादी नं.2.विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि पुलिस ने सभी निजी प्रतिवादी को कॉलम नं.2 खंड 173 दंड प्रक्रिया सहिंता के तहत रिपोर्ट में, जिस पर निचली अदालत ने उन्हें बरी कर दिया था। उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं होने को देखते हुए, विद्वत विचारण न्यायालय ने खंड 319 दंड प्रिक्रिया सहिंता के तहत दायर आवेदन को सही ढंग से खारिज कर दिया था। विद्वान अधिवक्ता ने

अनुच्छेद 95,105 और 106 के विशिष्ट संदर्भ के साथ बृजेंद्र सिंह और एक अन्य बनाम राजस्थान राज्य 2 मामले में निर्णय के साथ उपरोक्त पैरा 12 और 13 को संदर्भित करना, जिसमें हरदीप सिंह (उपरोक्त) के पैरा 95,105 और 106 को पुनः प्रस्तुत किया गया था, यह तर्क देने के लिए कि खंड 319 के तहत शक्ति के प्रयोग के लिए इस हद तक प्रथमदृष्टया साक्ष्य और संतुष्टि से अधिक होना चाहिए कि साक्ष्य निर्विवाद हो जाए, जिससे दोषसिद्धि होगी।

1 2014 (3) एस. सी. सी. 92

(8) पक्षों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दी गई दलीलों को काफी देर तक सुनने के बाद।

कानूनी पहलूः-

(9) मामले के उचित मूल्यांकन के खंड 319 दंड प्रक्रिया सहिंता के प्रावधानों के साथ-साथ जिस तरीके से इसके दायरे के संबंध में इसकी व्याख्या की गई है, उसे पहली बार में संदर्भित किया जाना उचित माना जाता है।

खंड 319 दंड प्रक्रिया सहिंता इस प्रकार हैः-

319. अपराध के दोषी प्रतीत होने वाले अन्य व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करने की शक्ति।

(1) जहाँ, किसी अपराध की किसी जांच या मुकदमे के दौरान, साक्ष्य से यह प्रतीत होता है कि कोई व्यक्ति जो अभियुक्त नहीं है, ने कोई ऐसा अपराध किया है जिसके लिए ऐसे व्यक्ति पर अभियुक्त के साथ मिलकर मुकदमा चलाया जा सकता है, न्यायालय ऐसे व्यक्ति के खिलाफ उस अपराध के लिए कार्यवाही कर सकता है जो उसके द्वारा किया प्रतीत होता है।

2 2017(4) जे. टी. 530

(2) जहां ऐसा व्यक्ति न्यायालय में उपस्थित नहीं हो रहा है, उसे उपरोक्त उद्देश्य के लिए, मामले की परिस्थितियों के अनुसार, गिरफ्तार किया जा सकता है या तलब किया जा सकता है।

(3) न्यायालय में उपस्थित होने वाला कोई भी व्यक्ति, हालांकि गिरफ्तार या सम्मन नहीं किया गया, ऐसे न्यायालय द्वारा उस अपराध की जांच या मुकदमे के उद्देश्य से हिरासत में लिया जा सकता है जो उसने किया प्रतीत होता है।

(4) जहां न्यायालय उप-खंड (1) के तहत किसी व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही करता है, तो -

(क) ऐसे व्यक्ति के संबंध में कार्यवाही नए सिरे से शुरू की जाएगी और गवाहों की फिर से सुनवाई की जाएगी।

(ख) खंड (क) के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, मामला इस तरह आगे बढ़ सकता है जैसे कि ऐसा व्यक्ति एक अभियुक्त व्यक्ति था जब न्यायालय ने उस अपराध का संज्ञान लिया था जिस पर जांच या मुकदमा शुरू किया गया था।

(10) उपरोक्त खंड को मात्र पढ़ने से पता चलता है कि उपयोग किया गया शब्द तब होता है जब यह साक्ष्य से 'प्रकट' होता है कि कोई भी व्यक्ति जो अभियुक्त नहीं है, उसने अपराध किया है, अदालत ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है।

(11) उपरोक्त प्रावधान के पीछे का इरादा यह है कि कोई भी व्यक्ति, जिसने कोई अपराध किया है, उसे छोड़ा नहीं जाना चाहिए।यही कानून के शासन का प्राथमिक उद्देश्य है।

(12) मामले में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्विवाद निर्णय का संदर्भ दिया जाना आवश्यक है, मंजीत सिंह बनाम हरियाणा राज्य और अन्य 3, पर भरोसा करते हुए हरदीप सिंह (उपरोक्त) के मामले में संविधान पीठ के फैसले ने खंड 319 दंड प्रक्रिया सहिंता के तहत आवेदन पर विचार करने के लिए 5 प्रश्न तैयार किए थे। निचली अदालत के आदेश की पुष्टि करते हुए उच्च न्यायालय के तर्क को पाया कि खंड 319 के तहत आवेदन को खारिज कर दिया गया है। इस आधार पर कि शिकायतकर्ता के बयान में निहितार्थ का संकेत दिया गया है और किसी भी प्रतिवादी को कोई चोट नहीं लगी है, सिवाय इसके कि वे हथियार से लैस थे और संबंधित चोटों के लिए सह-अभियुक्त को जिम्मेदार ठहराया गया था और भले ही उसके साथ कोई और मौजूद था, यह नहीं कहा जा सकता था कि उनका कोई सामान्य इरादा था या मन के कहने पर सह-अभियुक्त गोलीबारी कर रहा था, जो टिकाऊ नहीं था। माननीय सर्वोच्च भारत के न्यायालय ने उच्च न्यायालय के फैसले को इस तथ्य के कारण खारिज कर दिया कि शुरू से ही अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ आरोप उस अपराध को करने के थे जिसके तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी और यह अभिनिर्धारित किया कि निचली अदालत और उच्च न्यायालय दोनों खंड 319 **दंड प्रक्रिया सहिंता** के तहत अधिकार क्षेत्र और/या शक्तियों का प्रयोग करने में विफल रहे थे। इसके परिणामस्वरूप, शिकायतकर्ता की ओर से निजी व्यक्तियों को समन करने के लिए प्रस्तुत आवेदन को अनुमति दी गई और निचली अदालत को उन्हें मुकदमे का सामना करने के लिए समन करने का आदेश दिया गया। उपरोक्त से संबंधित अनुच्छेद इस प्रकार हैः

“उच्च न्यायालय ने इस तथ्य को नजरअंदाज कर दिया है कि सभी अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ शुरू से ही आरोप भा.दं.सं. सी. की खंड 302,307,341,148 और 149 के तहत अपराधों के लिए थे। उच्च न्यायालय इस तथ्य की सराहना करने में विफल रहा है कि भा.दं.सं. सी. की धारा 149 के तहत अपराध को आकर्षित करने के लिए केवल गैरकानूनी सभा का हिस्सा बनाना पर्याप्त है और व्यक्तिगत भूमिका और/या प्रत्यक्ष कार्य महत्वहीन है।इसलिए, उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया तर्क कि किसी भी प्रतिवादी को कोई चोट नहीं लगी है, सिवाय इसके कि वे हथियारों से लैस थे और इसलिए, उन्हें आरोपी के रूप में नहीं जोड़ा जा सकता है। विद्वत विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय खंड 319 दंड प्रक्रिया सहिंता के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिकार क्षेत्र और/या शक्ति का प्रयोग करने में विफल रहे हैं।

विश्लेषण

(13) अब वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, अनिल-घायल-याचिकाकर्ता के एमएलआर में निम्नलिखित चोटों का उल्लेख किया गया हैः-

"1. खरोंचदार घाव सी साफ कट मार्जिन किनारे का ताजा रक्तस्राव 7 सेमी x 0.25 सेमी क्षैतिज रूप से खोपड़ी के भंवर के पर रखें

2. चेहरे के बाईं ओर बगल से बाईं आंख तक सूजन मौजूद है।"

(14) शुरुआत में ही इस बात पर जोर दिया जा सकता है कि घायल-शिकायतकर्ता, जो इसमें याचिकाकर्ता हैं, जो स्वयं चिकित्सा का गवाह है उस के द्वारा विधिवत पुष्टि कर चुके हैं, उनके हाथों मौखिक संस्करण का तथ्य संदेह की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ता है, कि कम से कम, निचली अदालत को पी. डब्ल्यू. 5-शिकायतकर्ता और एम. एल. आर. की गवाही से प्राप्त सही तथ्यों पर विचार करना और उन्हें दर्ज करना चाहिए था। घटना में प्रतिवादी संख्या 2 को एक भूमिका का विशिष्ट श्रेय घायल शिकायतकर्ता के सिर पर एक फरसे से प्रहार किया और एम. एल. आर. में परिलक्षित चोटों के कारण, विचारण न्यायालय को प्रथमदृष्टया दृष्टिकोण बनाने के लिए अपनी पर्याप्तता निर्धारित करने के लिए उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर कार्य शुरू करना चाहिए था, ताकि इस हद तक संतुष्टि प्राप्त की जा सके कि यदि इस तरह के साक्ष्य का खंडन नहीं किया जाता है, तो इससे दोषसिद्धि होगी।खंड 319 **दंड प्रक्रिया सहिंता** को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, पहले इस पर शोध करने के बाद ही यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि क्या इसमें योग्यता है या योग्यता के बिना।

निष्कर्षः

(15) मंजीत सिंह (उपर्युक्त) के मामले में उपरोक्त निर्णय के साथ अनुरोध करने के बाद, जिसमें खंड 319 दंड प्रक्रिया सहिंता के प्रावधानों की व्याख्या करते हुए, भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ के फैसले पर भरोसा किया गया है, कि निचली अदालत ने कानून और तथ्यों दोनों में त्रुटि की है।तथ्य यह है कि निर्विवाद रूप से मंजीत सिंह (उपरोक्त) के मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय को खंड 319 दंड प्रक्रिया सहिंता ओरके तहत आवेदन को खारिज करने के आदेश को रद्द करने के लिए राजी किया था. इस आधार पर कि शिकायतकर्ता ने उस मामले में भी शुरू से ही आरोप लगाए थे कि आरोपी ने अपराध किया था, इस मामले में भी मौजूद हैं।

(16) मामले के तथ्यों और परिस्थितियों की विशिष्टता के साथ-साथ मंजीत सिंह के मामलों में निर्धारित कानून,

प्रदीप सिंह और बृजेंद्र सिंह (उपरोक्त), मंजीत सिंह इस अदालत को स्थापित करने के लिए मजबूर करते हैं

आवेदन को खारिज करने वाले विवादित आदेश को दरकिनार करते हुए कम से कम प्रतिवादी संख्या 2 को समन किया जाए।

(17) नतीजतन, वर्तमान याचिका को सवीकार कर लिया गया है और 6.6.2016 दिनांकित आदेश को इसके द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 के आधार पर रद्द कर दिया गया है।

(18) इसमें कुछ भी मामले के गुण-दोष पर एक अभिव्यक्ति के रूप में नहीं माना जाएगा और निचली अदालत वर्तमान निर्णय में किए गए किसी भी टिप्पणी से स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ेगी और मामले का फैसला करेगी, जो केवल वर्तमान याचिका पर निर्णय लेने के उद्देश्य से था।

दिव्या गुर्ने

गुलशन कुमार

अस्वीकरण :- स्थानीय भाषा मे अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा मे इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और अधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।